रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 698] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 01, 2018/ आश्विन 9, 1940
No. 698] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 01, 2018/ASVINA 9, 1940

IndiaCode

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 945(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 28, 29 और 198 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेलवे को चालू करने संबंधी (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए) नियम, 2000 को और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे को चालू करने संबंधी (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रेलवे को चालू करने संबंधी (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए) नियम, 2000 में (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है); नियम 22 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"22क. आयामों की अनुसूची में परिवर्तन.—आयुक्त धारा 28 के अंतर्गत भारतीय रेल आयामों की अनुसूची के अधिकतम तथा न्यूनतम आयामों में किसी परिवर्तन की स्वीकृति दे सकते हैं जो आयुक्त द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों के साथ, संबंधित क्षेत्रों के भीतर, इसमें निर्दिष्ट किसी सीमा के अध्यधीन होगा।

3. उक्त नियमों के नियम 28 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"28. नए किस्म के रेल इंजनों या चल स्टाक को चालू करना या मौजूदा रेल इंजनों या चल स्टॉक की स्वीकृत अधिकतम गति बढ़ाना.—(1) अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को

किसी भी रेलवे प्रशासन के उपयोग के लिए रेलवे प्रशासन के किसी सेक्शन या डिवीजन में पहले से चल रहे रेल इंजनों या चल स्टॉक से भिन्न नए किस्म के रेल इंजनों या चल स्टॉक की शुरूआत के लिए आवेदन करेगा।"

व्याख्या- इस नियम के प्रयोजन के लिए मौजूदा रेल इंजनों या चल स्टॉक की स्वीकृत अधिकतम गति में कोई वृद्धि नए किस्म के रेल इंजनों या चल स्टॉक को चालू करने के रूप में मानी जाएगी ।

(2) उप नियम (1) के अधीन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजे जाएंगे-

(क) जैसा आवश्यक हो, एक्सल लोड, व्हील स्पेसिंग, लैंथ ओवर बफर तथा स्वीकृति हेतु अपेक्षित चल स्टॉक के दूसरे मूल आयामों का ब्यौरा देते हुए,ऐसे डायाग्राम, जिनके लिए स्वीकृति अपेक्षित हो ।

(ख) अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा जारी किया गया अस्थायी गति प्रमाणपत्र या अंतिम गति प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो ।

(ग) बहु (मल्टीपल) परिचालन के लिए एक साथ जोड़े जाने हेतु प्रस्तावित मोटिव पॉवर यूनिटों की अधिकतम संख्या का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(3) आयुक्त द्वारा आवेदन की संवीक्षा की जाएगी तथा उसकी सिफारिशें केंद्रीय सरकार को आदेशार्थ प्रस्तुत की जाएंगी।

(4) नई किस्म के किसी भी ऐसे इंजन या चल स्टॉक जिसके कारण भा.रे.मा. पुल नियम, 1964 या मानक प्रक्रिया संहिताओं में विर्निदिष्ट, अथवा ऐसे किसी संदर्भ के अभाव में, मौजूदा संरचनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित डिजाइन-मानदंड से अधिक दाब पड़े या रेलपथों पर अधिक दाब (स्ट्रेस) पड़ता हो, उसे खरीदने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि इसके लिए आयुक्त के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी न मिल जाए।

(5) आयुक्त नए डिजाइन के इंजनों को चलाने की अनुमति देने के लिए, अपेक्षित दोलन (oscillation) परीक्षण करवा सकता है तथा रिकार्डों को संवीक्षा के लिए मंगा सकता है।

(6) एक चल स्टॉक जिसमें भिन्न मुख्य आयाम अथवा भिन्न बोगी डिजाइन अथवा ब्रेकिंग प्रणाली के नए डिजाइन अथवा धुरा भार, ट्रैक लोडिंग घनत्व, अनस्प्रंग मास जैसे सस्पेंशन ब्यौरे भिन्न होने पर भी नए चल स्टॉक माने जाएंगे।

परंतु उपस्कर डिजाइन में कोई लघु परिवर्तन अथवा चल स्टॉक में आंतरिक उपस्कर लेआउट में परिवर्तन अथवा धुरा भार में लघु परिवर्तन अथवा ट्रैक लोडिंग घनत्व में लघु परिवर्तन अथवा अनस्प्रंग मास में लघु परिवर्तन को नया चल स्टॉक नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसे परिवर्तन से भार वितरण, गुरुत्व केंद्र अथवा चल स्टॉक की सवारी में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना न हो।

परंतु कोच के डिजाइन में किसी प्रकार का ऐसा बदलाव, जिससे परिचालन प्रणाली में और चल स्टॉक की नियंत्रण प्रणाली में परिवर्तन जैसे ब्रेक प्रणाली में बदलाव या कर्षण के सिद्धांत में बदलाव आता हो, तो उसे आधारभूत आशोधन के तौर पर समझा जाएगा तथा चल स्टॉक की किस्म और डिजाइन में परिवर्तन माना जाएगा ।

(7) अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन की राय में कोई भी अंतर होने के मामले में, कि कोई परिवर्तन अथवा आशोधन नए चल स्टॉक के रूप में माना जाएगा या नहीं, अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन अंतिम आदेशों के लिए मामला आयुक्त के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

28क. रेल प्रशासन द्वारा नए किस्म के रेल इंजनों या चल स्टॉक का प्रयोग करना.—(1) सरकारी रेल महाप्रबंधक अपनी रेल के किसी सेक्शन अथवा डिवीजन पर, केंद्रीय सरकार द्वारा नियम 28 के उपबंधों के अधीन भारतीय रेल पर पहले से चल रहे किसी रेल इंजन या चल स्टॉक के प्रयोग को स्वीकृत कर सकता है:

परंतु सरकारी रेल के अतिरिक्त अन्य रेल प्रशासन को अपनी रेल के किसी सेक्शन पर, केंद्रीय सरकार द्वारा नियम 28 के उपबंधों के अधीन चलाए गए रेल इंजनों या चल स्टॉक, के प्रयोग के लिए आयुक्त के माध्यम से केंद्रीय सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

(2) सरकारी रेल के महाप्रबंधक की स्वीकृति के लिए उप-नियम (1) के अधीन प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजे जाने चाहिए-

(i) जैसा आवश्यक हो, एक्सल लोड, व्हील स्पेसिंग, लैंथ ओवर बफ़र तथा स्वीकृति हेतु अपेक्षित चल स्टॉक के अन्य मूल आयामों का पूर्ण ब्यौरा देते हुए, ऐसे डायाग्राम;

(ii) अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा अस्थायी गति प्रमाणपत्र या अंतिम गति प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, जारी किया गया ।

(iii) रेल इंजनों या चल स्टॉक को चालू करने अथवा नियम 28 के अंतर्गत मौजूदा रेल इंजनों या चल स्टॉक की स्वीकृत अधिकतम गति में वृद्धि के लिए केंद्रीय सरकार की स्वीकृति ।

(iv) संगणना और निम्नलिखित को दर्शाने वाली दाब शीट :--

(क) निष्कर्ष;

(ख) बाह्य बल जिस पर दाब संगणना आधारित है;

(ग) विभिन्न पुलों, जिन पर से होकर प्रस्तावित चल स्टॉक गुजरेगा, पर पड़ने वाला दाब; और

(घ) जो चल स्टॉक पहले से ही उपयोग में लाया जा रहा है या सरकार के मौजूदा आदेशों द्वारा स्वीकृत है उसकी तुलना में विभिन्न संरचनाओं या रेलपथों पर उक्त चल स्टॉक का क्या प्रभाव पड़ेगा:

परंतु इस खंड के अधीन संगणना, दाब शीटों में यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि बाहरी बलों के कारण उत्पन्न प्रारंभिक दाबों के अतिरिक्त गौण या विकृत दाबों के लिए क्या व्यवस्था की गई है तथा दाब को समायोजित करने के लिए किन उपायों, यदि कोई हो, को शामिल किया गया है;

(v) चॉपर अथवा थाईरिस्टर कंट्रोल प्रणालियों के उपयोग के लिए सिगनल एवं दूरसंचार स्थापनों में अनिवार्य आशोधन, यदि कोई हो, की लागत को भी दर्शाया जाएगा;

(vi) संबंधित रेलवे पर अभी या निकट भविष्य में प्रस्तावित चल स्टॉक के उपयोग हेतु मौजूदा ढांचों अथवा रेलपथों में ऐसे सुधार कार्यों पर होने वाले खर्चों का अनुमानित ब्यौरा भी दर्शाया जाएगा, और

(vii) संबंधित रेलवे के मुख्य इंजीनियर, मुख्य यांत्रिक इंजीनियर तथा मुख्य बिजली इंजीनियर (विद्युत स्टॉक के लिए) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र निम्न प्रोफार्मा में दिया गया है, अर्थात्:-

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि----------(चलाए जाने के लिए प्रस्तावित रेल इंजन एवं चल स्टॉक का ब्यौरा) के अधिकतम --------- यूनिट (रेल इंजन के मामले में) जोड़े जाने पर इन्हें -------- रेलवे के सेक्शन----------(स्टेशन)से ----------(स्टेशन) तक के ---------(कि.मी.) से---------(कि.मी.) के बीच, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा प्रमाणित अधिकतम गति सीमा ----------(कि.मी./घं.) के संबंध में निम्नलिखित गति प्रतिबंधों एवं शर्तों के अध्यधीन, अधिकतम ----------(कि.मी./घं.) गति से चलाना सुरक्षित है :--

(क) गति प्रतिबंध:-

क्र.सं.	*कि.मी. से कि.मी. तक*	*गति प्रतिबंध का स्वरूप*	*संक्षिप्त प्रतिबंध का कारण*

(ख) विशेष शर्तें-

1.....

2.....

3.....

4.....

हस्ताक्षर –

1. मुख्य यांत्रिक इंजीनियर ---------- 2. मुख्य इंजीनियर ----------

3. मुख्य बिजली इंजीनियर ---------- 4. मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर ----------

5. मुख्य परिचालन प्रबंधक ----------

टिप्पणी: (1) जब किसी रेलवे के सेक्शन विशेष पर किसी इंजन या चल स्टॉक की गति, विशिष्ट कोटि की गाड़ी (यात्री या माल) के लिए अधिकतम स्वीकृत गति से अधिक बढ़ाई जानी हो, तो मुख्य परिचालन प्रबंधक और मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर को शामिल किया जाना चाहिए।

टिप्पणी: (2) ऐसी रेल पर, जहां बिजली इंजन एवं ईएमयू चल स्टॉक का कारखाना अनुरक्षण एवं चालू लाइन अनुरक्षण दोनों ही बिजली विभाग के नियंत्रण में हो, मुख्य बिजली इंजीनियर अन्यथा मुख्य यांत्रिक इंजीनियर हस्ताक्षर करेंगे।

टिप्पणी: (3) जब चॉपर कंट्रोल सहित मोटिव पावर का उपयोग किया जाना हो तो, मुख्य बिजली इंजीनियर तथा मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर हस्ताक्षर करेंगे।

(3) उप-नियम (2) के खंड (vii) में संदर्भित प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया जाएगा कि-

(क) प्रमाणित गति, अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा निर्धारित गति सीमा से अधिक नहीं है ।

(ख) विनिर्दिष्ट रूप से, बहु परिचालन के लिए एक साथ जोड़े जाने हेतु प्रस्तावित मोटिव पॉवर यूनिटों की अधिकतम संख्या ।

(4) सरकारी रेल के महाप्रबंधक की स्वीकृति रेल में रेल इंजन या चल स्टॉक के वास्तविक इस्तेमाल के 10 दिन पहले आयुक्त को उनकी सूचना के लिए संसूचित की जाएगी ।

(5) इस नियम के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित नियम 28 के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय रेल पर पहले से चलाए गए किसी इंजन अथवा चल स्टॉक के उपयोग हेतु सरकारी रेल से भिन्न रेल प्रशासन के नियंत्रण के अधीन रेल के किसी सेक्शन पर, आयुक्त के माध्यम से केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उसके प्रत्येक प्रस्ताव पर लागू होंगे ।

28 ख. नई यात्री गाड़ियां चालू करना या मौजूदा यात्री गाड़ियों की गति में परिवर्तन.—रेल प्रशासन एक नई यात्री गाड़ी चालू करने या मौजूदा यात्री गाड़ी की गति में परिवर्तन केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किए जाएंगे :

परंतु 130 कि. मी. प्रति घंटे से अधिक गति की पहली नई यात्री गाड़ी चालू करना या रेलवे के किसी सेक्शन में पहली बार मौजूदा यात्री गाड़ी की गति में 130 कि. मी. प्रति घंटे से अधिक वृद्धि आयुक्त के माध्यम से केंद्र सरकार के अनुमोदन से की जाएगी ।

[फा. सं. 70/डब्ल्यूडीओ/ओआरआई/आरओ/1 वॉल.IV]

एम.के. गुप्ता, सदस्य इंजीनियरी एवं पदेन सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 625(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 762(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2001; सा.का.नि. 44(अ), तारीख 27 जनवरी, 2005 और सा.का.नि. 76(अ) तारीख 16 फरवरी, 2005 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2018

G.S.R. 945 (E).—In exercise of the powers conferred by sections 28, 29 and 198 of the Indian Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Rules, 2000, namely:—

1. (1) These rules may be called the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Rules, 2000 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 22, the following rule shall be inserted, namely:—

"22A. Deviation from Schedule of Dimensions.—The Commissioner may, under section 28, allow any deviation from the maximum and minimum dimensions of Indian Railways Schedule of Dimensions, subject to any limit specified therein, within the respective circles with such conditions as the Commissioner may impose.".

3. For rules 28 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely:—

"28. Introduction of new types of locomotives or rolling stock or increase in sanctioned maximum speed of existing locomotives or rolling stock.—(1) The Research, Design and Standards Organisation shall apply, for introduction of new types of locomotives or rolling stock different from those already running on any section or division of railway administrations for use by any railway administration, to the Central Government through the Commissioner.

Explanation.—For the purposes to this rule, any increase in sanctioned maximum speed of existing locomotives or rolling stock shall be treated as introduction of new types of locomotives or rolling stock.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by—

(a) such diagrams as may be necessary to give full particulars of the axle loads, wheel spacing, length over buffers and other principal dimensions of the rolling stock for which sanction is required;

(b) provisional speed certificate or final speed certificate, as the case may be, issued by the Research, Design and Standards Organisation; and

(c) the maximum number of motive power units proposed to be coupled together for multiple operation shall be specifically mentioned.

(3) The application shall be scrutinised by the Commissioner and his recommendations thereon shall be submitted to the Central Government for its orders.

(4) No new type of engine or rolling stock which would cause stresses exceeding those specified in the IRS Bridge Rules, 1964, or the Standard Codes of Practice, or in the absence of any such reference, the design criteria approved by the Central Government for existing structures or excessive stresses in track shall be ordered until the sanction of the Central Government has been received through the Commissioner for doing so.

IndiaCode

(5) The Commissioner may, for permitting new designs of locomotives, require oscillation trials to be conducted and call for the records for his scrutiny.

(6) A rolling stock having different principal dimension or a different bogie design or new designs of braking system or suspension details like axle load, track loading density, unsprung mass being different shall be regarded as new rolling stock:

Provided that any minor change of equipment design or change of internal equipment layout on the rolling stock or minor change of axle load or minor change of track loading density or minor change in unsprung mass shall not be regarded as new rolling stock, unless such changes are likely to significantly affect weight distribution, center of gravity or riding behaviour of the rolling stock:

Provided further that any modification in the design of the coach which alters the system of operation and control over the rolling stock, like change in the braking system or change in the principle of traction shall be regarded as a material modification in the type and design of the rolling stock.

(7) In case of any difference of opinion in the Research, Design and Standards Organisation, whether or not any change or modification is to be regarded as a new rolling stock, the Research, Design and Standards Organisation shall, through the Commissioner, refer the matter to the Central Government for final decision thereon.

28A. Use of new types of locomotives or rolling stock by railway administration.—(1) The General Manager of a Government railway may sanction the use of any locomotive or rolling stock already introduced on Indian railway by the Central Government under the provisions of rule 28, on any section or division of railway under his control:

Provided that the railway administration other than the Government railway shall require the approval of the Central Government through the Commissioner for use of any locomotive or rolling stock already introduced on Indian railway by the Central Government under the provisions of rule 28, on any section of railway under its control.

(2) The proposal for sanction of the General Manager of a Government railway under sub-rule (1) shall be accompanied by—

(i) such diagrams as may be necessary to give full particulars of the axle loads, wheel spacing, length over buffers and other principal dimensions of the rolling stock for which sanction is required;

(ii) the provisional speed certificate or final speed certificate, as the case may be, issued by the Research, Design and Standards Organisation;

(iii) the sanction of the Central Government for introduction of the locomotives or rolling stock or increase in sanctioned maximum speed of existing locomotives or rolling stock under rule 28;

(iv) the calculations and stress sheets showing—

(a) the conclusions arrived at;

(b) the external forces on which the stress calculations are based;

(c) the stresses which will be produced in the various bridges over which the proposed rolling stock will run; and

(d) the effects which the said rolling stock will have on various structures or tracks as compared with those caused by the rolling stock already in use, or allowed by the existing Government orders:

Provided that the calculations and stress sheets under this clause must show as to what allowance has been made for any secondary or deformation stresses in addition to the primary stresses caused by external forces and what relief of stress, if any, has been included;

(v) the cost of modification to signalling and telecommunication installations necessitated by the use, if any, of chopper or thyristor control systems;

(vi) an approximate estimate of the cost of such improvements in existing structures or track as the use of the proposed rolling stock is likely to render necessary on the concerned railway, whether immediately or in the near future; and

(vii) a certificate signed by the Chief Engineer, the Chief Mechanical Engineer and the Chief Electrical Engineer (for electric stock) of the concerned railway in the following proforma, namely:—

CERTIFICATE

Certified that it is safe to run ----------(particulars of locomotive or rolling stock proposed to run) not exceeding ----------units (in the case of locomotive) coupled together on the section -------- (station) to -------- (station) from ----------(km) to -------(km) of the ---------- Railway at a maximum speed of ----------(km/h) against a maximum speed of ----------(km/h) certified by Research, Design and Standards Organisation, subject to the following speed restrictions and conditions:—

(a) Speed restrictions:—

Sl. No.	*From km to km*	*Nature of speed restriction*	*Brief Reason for restriction*

(b) Special Conditions—

1
2
3
4

To be signed by—

1. The Chief Mechanical Engineer.....

2. The Chief Engineer.....

3. The Chief Electrical Engineer.....

4. The Chief Signalling and Telecommunications Engineer.....

5. The Chief Operating Manager.....

Note 1.— The Chief Operating Manager and the Chief Signalling and Telecommunications Engineer should be associated when the increase in the speed of a locomotive or rolling stock is contemplated over the maximum sanctioned speed for a specific category of train (passenger or goods) over a particular section of the railway.

Note 2.— Over the railways where both the shop maintenance and open line maintenance of electric locos and electrical multiple unit rolling stock are under the control of the electrical department only, the Chief Electrical Engineer, otherwise the Chief Mechanical Engineer shall also sign.

Note 3.— When Motive power with chopper control is to be used, the Chief Electrical Engineer and the Chief Signalling and Telecommunication Engineer shall sign this certific*ate.*

(3) The Certificate referred to in clause (vii) of sub-rule (2) shall indicate —

(a) clearly that the speed certified does not exceed the limits laid down by the Research, Designs and Standard Organisation; and

(b) specifically the maximum number of motive power units proposed to be coupled together for multiple operation.

(4) The General Manager of the Government railway shall communicate the sanction to the Commissioner for his information ten days in advance of the actual use of locomotive or rolling stock over the railway.

(5) The provisions of this rule shall, *mutatis mutandi*, apply to every proposal of a railway administration other than Government railway for seeking approval of the Central Government through the Commissioner, for the use of any locomotive or rolling stock already introduced on Indian railway by the Central Government under the provisions of rule 28, on any section of railway under its control.

28B. Introduction of new passenger carrying trains or change in speed of existing passenger carrying trains.— A railway administration may introduce a new passenger carrying train or allow any change in speed of existing passenger carrying train in accordance with the instructions issued by the Central Government in this regard, from time to time:

Provided that a railway administration shall require the approval of the Central Government through the Commissioner, at the first introduction of a new passenger carrying train above 130 kilometer per hour or first increase in speed of existing passenger carrying train above 130 kilometer per hour in a section of such railway.

[F.No. 70/WDO/ORI/RO/1 Vol.IV]

M. K. GUPTA, Member Engineering and *ex officio* Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub–section (i), *vide* notification number G.S.R. 625(E), dated the 21st July, 2000 and subsequently amended *vide* notification numbers G.S.R. 762(E), dated the 8th October, 2001; G.S.R. 44(E), dated the 27th January, 2005 and G.S.R. 76(E), dated the 16th February, 2005.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.10.05 15:07:18 +05'30'